


उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-5
संख्या-2325/पांच-5-2021
लखनऊ; दिनांक : 27 दिसम्बर, 2021

उद्घोषणा

उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अधिनियम, 2020 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन् 2020) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, यह घोषित करते हुए उद्घोषणा जारी करती हैं कि सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य कोविड-19 से प्रभावित है।

2- यह उद्घोषणा दिनांक 31 मार्च, 2022 तक या कोई अग्रतर आदेश जारी किये जाने तक, जो भी पहले हो, के लिए प्रवृत्त रहेगी।


(अमित मोहन प्रसाद)
अपर मुख्य सचिव।